"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2006—पौष 1, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. कलेक्टर, जिला-बस्तर को दिनांक 11-12-2006 से 15-12-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10, 16, 17 एवं 18 दिसम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला-बस्तर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती रितु सैन, भा. प्र. से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जिला-बस्तर का चालू कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

क्रमांक 5471/2368/2006/1/2.—श्री पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि उत्पादन आयुक्त को दिनांक 11-12-2006 से 23-12-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10-12-2006 एवं 24, 25-12-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री द्विवेदी, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.—श्री सरजियस मिंज भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 26-12-2006 से 06-01-2007 (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24, 25-12-2006 एवं 07-01-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सरजियस मिंज, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-10-2006 में संशोधन करते हुए श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., कलेक्टर, कांकेर को दिनांक 26-12-2006 से 06-01-2007 तक (12 दिवस) का स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर अब दिनांक 23-12-2006 से 06-01-2007 (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24, 25-12-2006 एवं 07-01-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 03-11-2006 से 20-11-2006 तक (18 दिवस) का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. सुश्री निगार, भा. प्र. से. अवकाश से लौटने पर कलेक्टर, कोरिया के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. सुश्री निगार की उक्त अवकाश अवधि में श्री. ए. एल. टोप्पो, अपर कलेक्टर, कोरिया, अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जिला कोरिया का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/07/2006/1/2.—श्री एन. एस. मण्डावी, भा. प्र. से. को दिनांक 21-8-2006 से 27-09-2006 तक (38 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 अगस्त, 2006 एवं दिनांक 08-10-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री मण्डावी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डावी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री मण्डावी को दिनांक 28-09-2006 से 07-10-2006 तक की अवधि को ज्वाईनिंग टाईम अवधि स्वीकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2006

क्रमांक ई-7/49/2004/1/2.—श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से., कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 19-12-2006 से 23-12-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17, 18, 24 एवं 25 दिसम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सिंह के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, रायपुर का चालू कार्य श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, अपर कलेक्टर, रायपुर सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक क/वा./भू-अर्जन/प्र. क्र.-2/82 वर्ष 2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	शिकारी केसली प. ह. नं. 47/26	0.105	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	तिथीडीह जलाशय निर्मित योजना के स्पील चैनल हेतु.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक /4040/अविअ./भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	चिखली	0.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय के उलटनाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 5 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चेन्द्रा	46.586	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/222.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जर्वे प. ह. नं. 16	0.784	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग, क्रमांक-3, सक्ती.	गाडामोर मायनर (परसाडीह वितरक नहर)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जून 2006

क्रमांक 162/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरेकेलखुर्द	0.058	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-3, सक्ती.	बरेकेल माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक 891/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-करंजा भिलाई, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1073/2	0.05
1074/1	0.15
1074/2	0.10
1084	0.06
1085	0.04
1086	0.01
1089/1	0.05
1089/2	0.01
1090	0.07
1101	0.02
1102	0.03
1103	0.03
1105/1	0.03

(1)	(2)
1105/2	0.03
योग	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करंजा भिलाई जलाशय हेतु नहर नाली.

(3) संचालक जन संपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित.

दुर्ग, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक 894/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
409	0.15
419	0.05
490	0.05
494	0.06
497/3	0.05
559	0.12
893	0.03
410	0.10
982	0.13
492	0.11
495	0.05
498	0.09
906/1	0.09
894	0.01
411	0.09
489	0.05
493	0.09
496/2	0.04
499	0.07
906/2	0.10
565/2	0.15
योग	1.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करंजा भिलाई जलाशय हेतु नहर नाली.

(3) संचालक जन संपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित.

दुर्ग, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

क्रमांक/12/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलईपार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.13
4/1	0.09
177/1	0.09
239	0.14
303	0.03
232/3	0.04

(1)	(2)
305	0.06
234	0.10
2/5	0.03
4/2	0.15
177/2	0.01
183/1	0.06
224	0.05
182	0.11
291	0.07
237	0.03
2/7	0.06
118/1	0.04
176	0.09
183/2	0.08
233	0.02
295	0.08
349	0.03
302	0.03
3	0.03
118/3	0.12
181/2	0.02
223	0.02
287	0.08
304/2	0.05
222	0.02
योग 31	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदहरा जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

क्रमांक/15/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.35 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
580	0.01
588	0.12
605/1	0.19
605/2	0.20
604	0.25
612	0.55
581	0.01
589/1	0.38
600	0.78
608	0.30
610	0.44
611	0.54
587	0.15
590	0.36
603	0.44
609	0.28
606	0.59
591/2	0.20
589/2	0.37
591/1	0.44
602	0.30
601	0.25
607	0.20
योग 23	7.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झाल जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

क्रमांक/17/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ामोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.59 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	780	1.76
	783/2	0.18
	787	0.19
	779	0.65
	784	0.35
	788	0.25
	781	0.19
	785	0.33
	783/1	0.18
	786	0.51
योग	10	4.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झाल जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्र./4041/अ. वि. अ./भू-अर्जन/03/अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-मरोदा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	111	0.89
योग	1	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मरोदा जलाशय योजना के उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 39/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरजपुरा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.349 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	249	0.109
	251/1	0.303
	252/1	0.038
	252/3	0.053
	254/2	0.028
	254/5	0.020
	254/3	0.272
	254/4	0.182
	255/1	0.053
	255/3	0.101
	255/4	0.154
	260	0.004
	248/1	0.020
	248/2	0.012
योग	14	1.349

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 40/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-गीधनखार, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.183 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	28	1.183
योग		1.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खम्हरिया जलाशय के अंतर्गत स्पील चैनल हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 41/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.280 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.101
9	0.125
10/3	0.089
42/2	0.057
42/5	0.049
42/1	0.024
42/16	0.121
42/7	0.121
122/2	0.178
121	0.462
128	0.222
131/1	0.162
133/2	0.069
133/3	0.040
133/5	0.040
133/6	0.206
148	0.093
147/2	0.085
147/3	0.040
163/2	0.109
162	0.170
164/9	0.162
164/13	0.162
164/2	0.008
164/3	0.081
164/14	0.089
164/1	0.089
164/7	0.101
164/10	0.109
218/2	0.089
218/1	0.089
219/1	0.142
216/8	0.101
216/5	0.061
215	0.012
213/1	0.239
213/5	0.049
207	0.089
209	0.146
205/1	0.012
205/2	0.170
205/3	0.101
365/1	0.454
366/8	0.081
366/2	0.081
366/5	0.073
213/3	0.008
133/9	0.008
150/2	0.162
133/12	0.016
133/16	0.057
133/17	0.162
219/2	0.008
219/3	0.162
220/3	0.033
216/6	0.101
366/3	0.081
380/2	0.129
योग 58	6.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट मध्यम परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 42/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसबोड, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/4	0.194

(1)	(2)
43/1	0.105
44/2	0.142
43/2	0.328
44/1	0.096
42	0.239
34/1	0.206
34/19	0.158
34/7	0.073
34/41	0.065
34/49	0.049
34/40	0.093
34/48	0.049
34/14	0.032
34/15	0.053
34/24	0.109
34/8	0.069
32/2	0.117
29	0.174
119/1	0.032
119/2	0.198
120/2	0.105
123/2	0.012
231	0.040
207/16	0.166
207/13	0.113
207/11	0.158
201/7	0.020
204/1	0.154
205/1	0.133
205/2	0.178
207/19	0.202
206/1	0.109
207/27	0.097
207/18	0.012
207/17	0.036
191/2	0.194
190/6	0.198
190/7	0.174
189/3	0.218
187/1	0.344
34/1	0.450
35	0.307
66/1	0.061
66/2	0.186
65	0.036
62/3	0.045
62/6	0.008
63	0.020
61	0.093
90/1	0.065
90/3	0.012
73/6	0.089
89	0.146
88/1	0.121
88/2	0.020
87/2	0.166
96/2	0.291
96/6	0.049
87/3	0.024
94/3	0.174
40/7	0.040
40/4	0.040
40/6	0.061
120/1	0.251
115	0.008
122/2	0.004
123/3	0.182
57/3	0.082
67	0.049
62/2	0.012
62/1	0.004
39	0.101
38/6	0.004
36	0.081
योग 75	8.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट मध्यम परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 43/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-लाखाटोला, प. ह. नं. 58

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
288/1	0.092
288/2	0.069
363	0.081
449	0.004
402	0.086
364	0.098
454	0.019
362/2	0.082
365/1	0.010
360/2	0.089
361/1	0.026
383	0.036
368	0.004
370	0.010
462/3	0.040
462/12	0.140
372	0.023
462/14	0.098
450/2	0.025
462/5	0.040
462/4, 462/7	0.040
463	0.004
[illegible]	0.096
377	0.128
378/1	0.040
382	0.104
380/3	0.028
381	0.036
360/1	0.004
403	0.056
447/2	0.100
447/3	0.067
453	0.184
452/1	0.004
452/5	0.068
452/6	0.070
361/3	0.064
373/3	0.042
462/1	0.105
367	0.168
369	0.124
385	0.132
452/2	0.044
462/10	0.004
401	0.016
योग 45	2.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट मध्यम परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 44/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.445 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227/1	0.259
227/3	0.267
217/1	0.510
228/1	0.071
228/3	0.089
147/1	0.034

(1)	(2)
159	0.162
224/4	0.097
210/3	0.080
231/3	0.105
231/1	0.065
232/1	0.105
142/1	0.024
142/3	0.121
232/3	0.105
233/1	0.065
233/3	0.081
146/1	0.024
235/3	0.089
171	0.166
235/1	0.012
215/1	0.125
151/1	0.032
164/3	0.061
213/3	0.068
163	0.004
164/2	0.061
213/2	0.093
140	0.142
204/1	0.287
209	0.150
206/1	0.048
206/3	0.048
137/1	0.196
138	0.024
141/3	0.036
141/5	0.012
156	0.016
301/3	0.061
141/4	0.024
143/1, 143/3	0.065
144/3	0.024
145/1	0.024
145/3	0.016
155/1	0.032
230/1	0.004
148/3	0.016
152/1	0.036
154/1	0.016
154/3	0.016
151/2	0.024
215/2	0.165
211	0.081
139	0.032
162/1	0.186
229	0.016
197/4	0.061
148/1	0.016
164/1	0.008
213/1	0.073
162/2	0.008
208/2	0.040
197/3	0.068
216/3	0.170
205/1	0.056
205/3	0.044
172, 173, 174	0.061
144/1	0.020
208/1	0.048
योग 69	5.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट मध्यम परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 45/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-कुरूवा, प. ह. नं. 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.510 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
92	0.182
94/1	0.161
94/2	0.185
119	0.137
120/1	0.028
138/1	0.073
138/4	0.016
138/3	0.032
139/1	0.649
137/3	0.061
137/1	0.129
139/2	0.153
140/2	0.149
180	0.405
183/1	0.008
121/3	0.057
121/8	0.073
123/1	0.008
123/2	0.008
125/2	0.040
123/3	0.081
125/3	0.046
74/4	0.016
75/1	0.004
142	0.113
138/2	0.008
182/1	0.169
78/9	0.008
78/10	0.008
137/7	0.153
137/10	0.016
137/23	0.057
137/18	0.073
137/19	0.085
137/22	0.089
182/11	0.024
182/7	0.065
182/4	0.012
182/5	0.012
140/1	0.081
71/1	0.097
184/2	0.242
185	0.281
121/1	0.405
78/1	0.649
74/1	0.089
137/2	0.065
182/6	0.008
योग 48	5.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट मध्यम परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 46/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बामी, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.679 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
188/2	0.045
26/8	0.154
188/1	0.121
187/7	0.057
187/2	0.137
28/3	0.206
187/17	0.020
187/16	0.020
152/1	0.020
187/1	0.125
187/8	0.170

(1)	(2)
185/1	0.061
177/1	0.138
26/11	0.016
26/13	0.065
184/2	0.049
178/3	0.344
184/8	0.008
12/4	0.008
171/3	0.028
148/6	0.012
12/5	0.020
171/4	0.032
148/5	0.012
14	0.024
59	0.032
147	0.016
16/1	0.012
16/2	0.012
15/1	0.028
15/2	0.020
58	0.040
146/2	0.016
26/10	0.032
26/3	0.129
140/1	0.105
140/10	0.113
142/3	0.016
26/7	0.065
26/1	0.028
140/3	0.137
26/4	0.040
26/9	0.036
26/5, 26/6	0.130
38/2	0.101
264/1	0.105
177/5	0.049
177/6	0.049
25/1	0.251
27/1	0.008
176/1	0.065
171/6, 171/7	0.065
148/1	0.008
163/1	0.008
167/1	0.004
151/1	0.016
166/1	0.036
153/1	0.008
149/3	0.012
157/2	0.137
157/4	0.032
148/2	0.004
148/3	0.004
152/2	0.028
140/6	0.170
140/4	0.141
139	0.566
140/12	0.040
264/2	0.025
264/3	0.028
151/4	0.008
151/3	0.012
149/2	0.020
166/2	0.085
165	0.020
177/11	0.028
25/3	0.008
140/13	0.101
166/3	0.012
173/1	0.040
175/1	0.049
176/2	0.170
27/3	0.146
27/6	0.008
149/1	0.016
26/2	0.097
योग 86	5.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट मध्यम परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 47/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प. ह. नं. 50
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.506 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
161/1	0.474
160	0.079
159	0.154
149/1	0.012
149/2	0.028
149/3	0.028
149/4	0.024
149/5	0.032
148	0.061
54/1	0.397
63	0.077
56/2	0.097
62	0.097
61/1	0.194
61/2	0.105
64/2	0.020
66/13	0.032
120/5	0.283
120/1	0.267
118	0.113
117/2	0.034
116	0.146
235/1	0.004
235/8	0.263
248	0.138
250/3	0.032
250/4	0.032
250/1	0.032
250/2	0.032
250/5	0.028
252/2	0.008
252/1	0.053
253/1	0.172
253/3	0.109
253/2	0.032
64/1	0.004
65/2	0.020
56/1	0.093
58/2	0.126
235/2	0.125
237/2	0.154
237/1	0.275
53/2	0.020
योग 43	4.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 48/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुरी, प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.281 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351	0.105
350/1	0.032
350/5	0.057
349/1	0.016
349/2	0.012
359	0.061
360/1	0.170
360/2	0.154

(1)	(2)
362	0.008
340/1	0.053
340/2	0.012
341/3	0.081
341/2	0.032
337/4	0.125
333/6	0.040
333/9	0.012
333/1	0.028
333/5	0.040
333/10	0.032
337/2	0.049
337/3	0.061
339/2	0.008
337/1	0.073
331	0.243
332	0.008
330	0.097
430	0.008
431/6	0.081
431/2	0.040
431/3	0.020
431/5	0.024
431/7	0.061
431/8	0.057
439	0.174
438/1	0.142
438/2	0.020
437	0.045
योग 37	2.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 49/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-धनौरा, प. ह. नं. 44

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.915 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/1	0.089
7/2	0.089
8	0.096
21/5	0.290
21/4	0.016
56/2	0.101
56/1	0.089
56/3	0.028
56/14	0.048
56/13	0.028
57/1	0.230
59	0.083
107	0.103
91/12	0.054
91/13	0.128
91/1	0.053
91/2	0.397
92/3	0.020
110	0.170
117/1	0.008
117/3	0.008
108/2	0.004
108/3	0.080
106/1	0.226
184/2	0.145
185	0.100
286	0.090
291	0.070
287	0.004
288	0.173
290/2	0.040
290/3	0.012
290/4	0.049
293/1	0.036
293/2	0.093
94/2	0.259

(1)	(2)
58	0.020
292	0.070
91/16	0.022
106/2	0.182
184/1	0.072
184/3	0.032
284	0.008
योग 43	3.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 50/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी, प. ह. नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.067 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
42	0.004
41/2	0.186
41/1	0.190
41/4	0.089
40	0.012
3/2	0.065
3/1	0.057
37	0.061
4/15	0.040
4/20	0.061
4/7	0.048
4/19	0.045
4/21	0.004
36/4	0.097
36/2	0.032
35/6	0.032
34/2	0.057
34/1	0.170
33/1	0.235
33/2	0.129
32	0.065
31	0.113
30/11	0.045
30/8	0.064
30/2	0.024
30/10	0.057
29/1	0.081
29/4	0.077
28/1	0.267
16/2	0.081
19/1	0.081
19/2	0.057
20/1	0.114
20/2	0.092
21	0.235
योग 35	3.067

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जून 2006

क्रमांक 163/भू-अर्जन/2006/सा.-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम- जैजैपुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.509 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
6198/1	0.016
6198/2	0.016
4834/1	0.008
5169/5	0.024
5005	0.024
5007	0.045
5010	0.080
3612/1	0.040
3624	0.056
3625	0.068
3626	0.008
4826	0.016
4824	0.020
5012/1	0.036
4815/1	0.020
4232/1	0.020
4549	0.012
योग 17	0.509

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जैजैपुर माइनर नं. 02 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 नवम्बर 2006

क्रमांक 928/भू-अर्जन/2006/सा.-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- सपोस, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.90 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
279/3	0.10
487/1	0.10
1644, 1646,1647/1	0.70
योग	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

क्रमांक 967/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2006/सा.-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- बिलाईगढ़, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.64 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
866/2	0.09
865/4	0.06
865/3	0.10
865/2	0.07
863/2	0.18
861/1	0.03
863/3	0.15
862/2	0.06
862/1 ख	0.06
854	0.16
853	0.15
851	0.09
843/4	0.09
843/3	0.09
848	0.09
847	0.12
846/3	0.06
846/1	0.30
439/2	0.07
440/4	0.09
440/3	0.22
438/1	0.09

	(1)	(2)
	438/2	0.06
	437/2	0.16
योग	24	2.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बसंतपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

क्रमांक 969/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2005/सा.-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- कुदरुझांझ, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.03 एकड़

	खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	146/2	0.18
	146/1	0.12
	145	0.17
	144	0.18
	138/1	0.31
	137	0.07
योग		1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुदरुझांझ माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

क्रमांक 971/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2005/सा.-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- हरदी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.17 एकड़

	खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	228	0.18
	218	0.06
	220/1	0.15
	150/1, 149	0.45
	147/1	0.02
	146/1	0.03
	145	0.06
	144/1	0.06
	150/11	0.11
	143/1	0.06
	150/5	0.18
	123/6	0.28
	122	0.08
	123/7	0.06
	114/1	0.21
	114/2	0.06
	114/4	0.12
योग		2.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुदरुझांझ माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

क्रमांक 973/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2006/सा.-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- कुसमुल, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.040 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
792/02	0.040
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चुरतेली, लटेसरा, कुसमुल मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 जुलाई 2006

क्रमांक 5 अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम- चेन्द्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 46.586 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
147	0.121
162	0.041
148/2	0.151
149	0.328
150	0.170
152	0.085
163	0.020
151	0.012
125	0.073
214	0.210
222	0.138
228	0.294
218	0.057
229	0.668
231	0.355
425	0.192
232	0.069
234	1.005
283	0.113
292	0.291
293	0.425
320	0.507
327	0.340
347	0.061
348	0.051
351	0.091
378	0.273
381	0.263
295	0.061
334	0.093

(1)	(2)	(1)	(2)
309	0.016	359	0.222
310	0.045	406	2.800
313	0.678	360	0.110
317	0.526	370	0.081
338	0.101	361	1.101
294	0.121	362	0.172
318	0.658	363	0.045
321	0.526	365	0.283
335	0.291	366	0.283
322	0.303	367	0.263
341	0.211	431	0.313
344	0.166	928/1	0.141
326	0.141	369	0.051
346	0.283	371	0.091
330	0.435	377	0.111
374	0.081	408	0.008
376	0.041	410	0.333
331	0.121	445	0.226
332	0.769	379	0.121
1386	0.041	380	0.456
333	0.231	382	0.861
337	0.121	394	0.253
339	0.880	402	0.202
340	0.131	407	0.478
342	0.091	440	0.048
343	0.051	413	0.049
364	0.313	414	0.137
375	0.121	435/1	1.171
345	0.161	415	0.182
434	0.415	416	0.172
349	0.222	316	0.891
357	0.172	417	0.405
372	0.182	418	0.343
352	0.405	419	0.343
353	0.212	420	0.202
354	0.242	421	0.111
355	0.081		
138	0.121		
356	0.049		
452/2	0.061		
358	0.111		
373	0.101		
207	0.008		

(1)	(2)
424	0.395
426	0.121
427	0.395
429	0.121
448	0.145
433	0.658
435/2	0.041
436	0.051
437	0.071
438	0.364
439	0.486
441	0.353
925	0.060
442	0.202
449	0.121
924	0.729
923	0.462
1207	1.344
1208	0.410
1235	0.202
1209	0.272
1212	0.574
1223	0.008
1224	0.303
1225	0.668
1226	0.627
1227	3.861
1232	0.153
1234	0.172
1241	0.141
1242	0.202
107/4	0.064
124	0.332
139	0.308
141	0.141
143	0.020
145	0.170
232	0.496
289	0.101
450	0.222
922	0.160
452/1	0.049
919	0.057
1127/1	0.365
1203	0.246
1300	0.049
योग 155	46.586

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चेन्द्रा जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिगुंआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक 2/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
 (क) जिला- रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम- बेन्दोझरिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.595 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
131/1	0.004

(1)	(2)
135/1	0.032
137/1	0.016
137/3	0.004
141/1 च	0.008
141/1 ङ	0.004
141/2, 141/3	0.002
141/7	0.004
142	0.004
151/2, 154, 153/1	0.008
151/2, 153, 154/2	0.008
155/1	0.129
156/1 क	0.089
156/2	0.024
165/2	0.008
165/4	0.004
165/5	0.004
165/6	0.004
165/7	0.004
240	0.069
241/1	0.032
242	0.126
243	0.006
योग 23	0.595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चपले, बसनाझर मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9300/भू-अर्जन/2006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम- खुर्सीपार, प. ह. नं. 58
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.320 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
566	0.512
567/2	0.045
579	0.140
580	0.089
563	0.049
558	0.076
590	0.254
591/1	0.058
592	0.155
593	0.134
594	0.140
601	0.040
596	0.126
597	0.056
598	0.118
630	0.004
628	0.113

(1)	(2)
629	0.004
627	0.334
595	0.004
620	0.116
624	0.040
625	0.063
564	0.016
581	0.090
568/3	0.020
565	0.012
569	0.004
568/2	0.106
622/1	0.004
567/5	0.004
567/1	0.167
567/4	0.089
583/2	0.138
योग 34	3.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घुमरिया नाला बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9301/भू-अर्जन/2006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम- टेकाहर्रा, प. ह. नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 21.15 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
98/2	2.44
98/1	2.00
63	3.02
49	0.65
54	1.56
55	2.90
60	1.48
61/1	7.10
योग 8	21.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोठिया जलाशय के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9445/भू-अर्जन/2006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम- नादिया, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.90 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
130	0.18
133	0.61

(1)	(2)
161	0.02
135/2	0.07
134	0.01
137/2	0.14
160/12	0.32
137	0.35
311	0.07
158/1	0.15
158/2	0.15
172	0.33
154	0.53
257	0.05
260	0.27
250	0.09
155	0.03
139/2	0.20
277/6	0.20
139/4	0.28
294/2, 300	0.22
151/2	0.58
148/3	0.29
313	0.18
277/2	0.03
148/4	0.08
265/3	0.05
310	0.19
316/1	0.11
316/2	0.01
312/1	0.01
312/2	0.18
290/1	0.04
290/2	0.10
289	0.05
277/3	0.11
281	0.08
283/1	0.04
282	0.11
277/1	0.10
272	0.09
273/2	0.05
271	0.09
266	0.06
267	0.03
258	0.20
274/12	0.07
261	0.09
262	0.02
244	0.26
249, 248	0.19
247/1	0.05
277/4	0.04
247/2	0.05
योग 23	7.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9446/भू-अर्जन/2006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम- इरिमकसा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.34 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
60	0.48
148/2	0.26
64	0.32
141/2	0.18
56/1	0.29

(1)	(2)
149	0.02
56/2	0.40
151/2	0.02
63	0.23
148/1	0:14
योग	2.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9447/भू-अर्जन/2006.—– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम- बसावर, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.09 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
29/1	0.33
30	0.14
274	0.65
27/4	0.26
309/2	0.14
31	0.08
178	0.22
182/1	0.02
228	1.22
191/1	0.74
177, 225/1	0.68
234	0.69
183/1	0.07
226	0.34
191/2,3	0.50
185	0.27
283	0.20
320	0.02
180/1	0.30
192	0.21
180/4	0.32
180/2	0.33
180/5	0.45
180/3	0.02
179/2	0.19
275	0.58
280/3	0.06
263	0.04
262	0.27
276	0.05
273	0.01
280/4,9	0.05
280/5	0.06
280/2	0.06
352/1	0.11
281	0.18
319	0.05
314	0.23
282	0.25
318	0.15
313	0.26
339	0.01
287	0.62
284	0.27
285	0.28
286	0.35
288	0.03

(1)	(2)
298	0.16
331/1	0.15
302	0.75
322/2	0.10
321	0.05
311	0.23
309/3	0.12
309/4	0.17
योग	14.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

क्रमांक एफ 37-8/तीन (एक)-1/06/311 रायपुर, दिनांक 06 दिसम्बर 2006

विषय :- जिला बिलासपुर के जनपद पंचायत कोटा, गौरेला एवं पेन्ड्रा क्षेत्रों और जिला धमतरी जनपद पंचायत नगरी की ग्राम पंचायत छिपली के वार्ड नं. 19 के उप चुनाव वर्ष 2006 (उत्तरार्द्ध) समय-अनुसूची (कार्यक्रम).

वर्ष 2006 (उत्तरार्द्ध) में आयोग के पत्र क्रमांक एफ-37-8/तीन (एक)-1/06/124 दिनांक 08 नवम्बर 2006 द्वारा प्रदेश में (बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत कोटा, गौरेला तथा पेन्ड्रा को छोड़कर) त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कराये जाने का कार्यक्रम जारी किया गया है. तद्अनुसार दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 को मतदान होना है. जिला बिलासपुर के जनपद पंचायत कोटा, गौरेला तथा पेन्ड्रा क्षेत्रों में दिनांक 31-08-2006 को त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त रहे पदों का चुनाव तथा जिला धमतरी की जनपद पंचायत नगरी की ग्राम पंचायत छिपली में रिक्त रहे वार्ड नं. 19 के उप निर्वाचन हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा रहा है. आयोग को प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत गौरेला में त्रिस्तरीय पंचायत का कोई भी पद रिक्त नहीं है. कृपया इसकी पुन: तसदीक कर लेवें. इसके पश्चात् प्रारुप-2 में निर्वाचन की सूचना जारी करें.

2. यह उप निर्वाचन 01 जनवरी, 2006 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार की गई मतदाता सूची के अनुसार कराये जायेंगे. निर्वाचन सूचना जारी करने के पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर लेवें कि उक्त स्थान को भरने पर किसी न्यायालयीन आदेश द्वारा रोक तो नहीं लगाई गई है.

3. इस निर्वाचन/उप निर्वाचन से संबंधित सभी कार्रवाइयाँ आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही की जाये. आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के संबंध में प्रकाशित कराये गये निर्देश के संकलन (अप्रैल 2005 संस्करण) तथा रिटर्निंग ऑफिसरों के उपयोग हेतु तैयार की गई हस्त पुस्तक "निर्वाचन संदर्शिका" (मार्च 2004 संस्करण) की पर्याप्त प्रतियाँ आपको पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2004-05 के समय भेजी जा चुकी है. आशा है, सभी रिटर्निंग ऑफिसरों/सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को इन निर्देश पुस्तकों की प्रतियाँ उपलब्ध करा दी गई होगी. छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में किये गये संशोधन के अनुसार आपराधिक पृष्ठ भूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में नाम-निर्देशन पत्र के साथ सरपंच के अभ्यर्थी से स्वघोषणा पत्र लिया जाना है. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे. आयोग के आदेश क्र. एफ-12/रानिआ/सूचना का अधि./पं. चु./2004/1885 दिनांक 16 नवम्बर, 2005 का पालन किया जावे.

4. इन निर्वाचन/उप निर्वाचन के संबंध में जारी कार्यक्रम (संलग्न परिशिष्ट-एक) की तिथिवार कार्यवाइयों की आवश्यक जानकारी पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारुपों में यथासमय प्रेषित की जाये, विशेष कर नाम-निर्देशन के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ-60/रानिआ/प. नि./. 2004/2901/दिनांक 21 दिसंबर 2004 (निर्देशों के संकलन के नवीन संस्करण में पृष्ठ 126-137 पर उद्धृत) के अनुसार दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाये.

निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्रारूप-24 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा सविरोध निर्वाचन के मामले में प्रारूप-20, 21, 22, 23 एवं 26 क, 26 ख, 26 ग में (जैसी भी स्थिति हो) विवरणी की प्रति समयावधि में आयोग को अवश्य भेजी जाये.

5. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी.

एच. यू. खान,
उप-सचिव.

परिशिष्ट-एक

बिलासपुर जिला के जनपद पंचायत कोटा, गौरेला, पेन्ड्रा एवं धमतरी जिला के जनपद पंचायत नगरी की ग्राम पंचायत छिपली के वार्ड क्र.-19 के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2006 (उत्तरार्द्ध) समय-अनुसूची (कार्यक्रम)

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तरीख/ दिन/समय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना	28	11 दिसंबर 2006 (सोमवार) प्रात: 10:30 बजे से.
	(2) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	29 क	--,,--
	(3) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	--,,--
2.	नाम-निर्देशन प्राप्त करने की आखिरी तारीख	28 क	19 दिसंबर 2006 (मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक.
3.	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28 ख	20 दिसंबर 2006 (बुधवार) प्रात: 10.30 बजे से.
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख	28 ग	22 दिसंबर 2006 (शुक्रवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक.
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38	22 दिसंबर 2006 (शुक्रवार) अभ्यर्थिता वापसी के बाद.
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 घ	30 दिसंबर 2006 (शनिवार) प्रात: 7.00 बजे से 3.00 बजे तक.
7.	मतगणना		30 दिसंबर 2006 (शनिवार) मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरत पश्चात्.
8.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में.		31 दिसंबर 2006 (रविवार) खण्ड मुख्यालय पर प्रात: 9.00 बजे से.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

क्रमांक/निर्वा. याचिका/2005/1493.—भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की अर्जी संख्या 13/04, दिनांक 28-11-2006 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 106 के अधीन जारी की गई तारीख 28-11-2006 की अधिसूचना संख्या 82/छ. ग.-वि. स./13/04 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 28 नवम्बर, 2006—7 अग्रहायण, 1928 (शक)

अधिसूचना

संख्या 82/छ. ग.-वि. स./13/04.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग वर्ष 2004 की निर्वाचन अर्जी संख्या 13 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर बेंच के तारीख 18-9-06 के आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(ललित मोहन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BILASPUR

(C.G.)

ELECTION PETITION NO. 13/2004 Single Bench

PETITIONER

Hemwant Bhanwar Singh Porte
Aged about 49 years
W/O Late Shri Bhanwar Singh Porte
R/O Porte Niwas, V.I.P. Road, Raipur
(Chhattisgarh)

VERSUS

RESPONDENTS

1. Ajit Pramod Kumar Jogi
Aged about 58 years
S/O Late Shri K.P.Jogi
R/O Karuna,
Civil Lines, Old Collector Bungalow
Raipur
Tahsil & District
Raipur (Chhattisgarh)

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80/80-A OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951:-

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक E.P.NO.13 सन् 2004

............................विरुद्ध............................

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

18-9-2006:-

When the matter is called out, none present on behalf of the petitioner. No representation is made.

Heard Dr. N.K. Shukla, Sr. Advocate with Mr. A.K. Yadav, Advocate for the respondent.

An application I.A. No.2902/2006 has been filed by Mr. Jitendra Pali, learned counsel for the petitioner stating that in spite of notice, verbal and in writing, the petitioner is not contacting them and no instructions are being given by the petitioner to the counsel. They sent two registered letters on 4-9-2006. Therefore, the Court should pass necessary orders. Along with this application, copies of letters which were written by Mr. Pali have been annexed and postal receipt has also been annexed.

An application I.A. No:2872/2006 has also been filed on behalf of the respondent for dismissal of the petition under Order 7 Rule 11 of the C.P.C.. Amongst other grounds for dismissal, it has been mentioned that the respondent has already resigned from the Membership of Legislative Assembly in the year 2004 when he was elected member of Lok Sabha from Mahasamund constituency.

In the first instance, neither the petitioner himself nor his counsel is present. Moreover, the respondent has already resigned from the

(पीछे देखिये)

XI-HC-22-

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक .... सन् 200

.... विरुद्ध ....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित -2-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

membership of the constituency for which he was elected, as such, in my considered opinion, this election petition has become infructuous.

The election petition is accordingly, dismissed as having become infructuous. However, there shall be no order as to costs.

Consequently, I.A.Nos.2902/2006 & 2872/2006 stand disposed of.

Sd/-
L.C. Bhadoo
Judge

Barve

TRUE COPY

SECTION OFFICER
HIGH COURT OF CHHATTISGARH
BILASPUR (C.G.)

(पीछे देखिये)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, 28th November, 2006—7 Agrahayana, 1928 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/CG-LA/13/04.—In pursuance of Section 106 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby publishes the judgment/order of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur Bench dated 18-09-06 in Election Petition No. 13/04.

By order,

Sd/-
(LALIT MOHAN)
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BILASPUR

(C.G.)

Single Bench

ELECTION PETITION NO.13/2004

PETITIONER		Hemwant Bhanwar Singh Porte Aged about 49 years W/O Late Shri Bhanwar Singh Porte R/O Porte Niwas, V.I.P. Road, Raipur (Chhattisgarh)

VERSUS

RESPONDENTS	1.	Ajit Pramod Kumar Jogi Aged about 58 years S/O Late Shri K.P.Jogi R/O Karuna, Civil Lines, Old Collector Bungalow Raipur Tahsil & District Raipur (Chhattisgarh)

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80/80-A OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951:-

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक E.P.NO.13 सन् 2004

.... विरुद्ध ....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

18-9-2006:-

When the matter is called out, none present on behalf of the petitioner. No representation is made.

Heard Dr. N.K. Shukla, Sr. Advocate with Mr. A.K. Yadav, Advocate for the respondent.

An application I.A. No.2902/2006 has been filed by Mr. Jitendra Pali, learned counsel for the petitioner stating that in spite of notice, verbal and in writing, the petitioner is not contacting them and no instructions are being given by the petitioner to the counsel. They sent two registered letters on 4-9-2006. Therefore, the Court should pass necessary orders. Along with this application, copies of letters which were written by Mr. Pali have been annexed and postal receipt has also been annexed.

An application I.A. No.2872/2006 has also been filed on behalf of the respondent for dismissal of the petition under Order 7 Rule 11 of the C.P.C.. Amongst other grounds for dismissal, it has been mentioned that the respondent has already resigned from the Membership of Legislative Assembly in the year 2004 when he was elected member of Lok Sabha from Mahasamund constituency.

In the first instance, neither the petitioner himself nor his counsel is present. Moreover, the respondent has already resigned from the

(पीछे देखिये)

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक .... सन् 200

.... विरुद्ध ....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित -2-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

membership of the constituency for which he was elected, as such, in my considered opinion, this election petition has become infructuous.

The election petition is accordingly, dismissed as having become infructuous. However, there shall be no order as to costs.

Consequently, I.A.Nos.2902/2006 & 2872/2006 stand disposed of.

Sd/—
L. C. Bhadoo
Judge

Balve

TRUE COPY

SECTION OFFICER
HIGH COURT OF CHHATTISGARH
BILASPUR (C.G.)

(पीछे देखिये)